

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Sanjay Das
18/7/22

18-7-22 परावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना-
पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 C.P.C.
पेश करने पर तलब की गयी प्रस्तुत
प्रार्थना - पत्र अनुसार वादी प्रस्तुत
प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध
कोई अनुतोष नहीं चाहता है और
प्रस्तुत वाद को प्रत्याहरित करना
चाहता है चूंकि वादी उक्त वाद
को प्रत्याहरित करना चाहता है
अतः वादी को उक्त वाद प्रत्याहरित
करने की अनुमति दी जाती है
परावली फैसल शुमार होकर
सम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

